लोक सभा

तारांकित प्रश्न संख्या *109

02 मई, 2016 को उत्तर के लिए

इस्पात उद्योग को बढ़ावा देना

***109. श्री जी. हरि:**

श्री एम. के. राघवन:

क्या **इस्पात** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि सस्ते इस्पात के बढ़ते आयातों, घरेलू तथा वैश्विक मांग में मंदी आने के कारण इस्पात उद्योग को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ख) क्या सरकारी उपक्रमों सहित देश की शीर्षस्थ इस्पात कंपनियों को भारी घाटा हो रहा है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार इस्पात उद्योग को संकट से उबारने के लिए एक विशेष पैकेज देने का है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) घरेलू इस्पात उद्योग के संरक्षण और इसे बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा अन्य क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

उत्तर

इस्पात और खान मंत्री **(श्री नरेन्द्र सिंह तोमर)**

(क) से (घ): एक विवरण लोक सभा के पटल पर रख दिया गया है।

***

"इस्पात उद्योग को बढ़ावा देना" के बारे में श्री जी. हरि और श्री एम. के. राघवन, संसद सदस्यों द्वारा लोक सभा में दिनांक 02 मई, 2016 के लिए पूछे गए तारांकित प्रश्न संख्या *109 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में निर्दिष्ट विवरण

(क): वर्तमान में भारतीय इस्पात उद्योग अत्यधिक मंदी के दौर से गुजर रहा है। विश्व स्तर पर मांग में कमी होने और क्षमता की अत्यधिकता होने के परिणाम स्वरूप चीन, जापान और कोरिया गणराज्य जैसे इस्पात के प्रमुख उत्पादक देश मूल्य निर्धारण की प्रिडेटरी रणनीति को अपना रहे है और प्राय: अपनी उत्पादन लागत से कम कीमतों पर भारत में अपने उत्पादों की बिक्री कर रहे है। परिणामत: घरेलू उत्पादकों ने पर्याप्त रूप में कीमतों को कम किया है और इस प्रकार उनके लाभ मार्जिन में कमी हो रही है।

(ख): जी, हां। गत दो वित्तीय वर्षों के दौरान देश में चुनिन्दा इस्पात उत्पादकों का वित्तीय निष्पादन नीचे दिया गया है:-

(करोड़ रूपए में)

इस्पात उत्पादक का नाम	2014-15	2015-16		
	पूर्ण वर्ष	तिमाही 1	तिमाही 2	तिमाही 3
सेल	2092.68	-321.64	-1055.96	-1528.73
टाटा स्टील	6439.12	1248.61	2522.92	452.82
जेएसडब्ल्यू	2166.48	30.75	241.00	-4142.22
आरआईएनएल	62.38	-126.1	-309.02	-604.87
जेएसपीएल	-310.68	-267.28	-203.67	-402.12
भूषण	-1257.1	-3584.68	-732.79	-697.15
मोनेट	-795.88	-375.35	-394.71	-479.17
टाटा स्पंज	91.89	7.09	5.69	5.24
टाटा मेटलिक	83.66	6.82	6.41	11.65

स्रोत: ईआरयू/जेपीसी

(ग): इस्पात क्षेत्र पर पड़ने वाले दबाव को कम करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने जुलाई, 2015 में 5:25 योजना का विस्तार किया है जिसके द्वारा अवसंरचना और प्रमुख उद्योग क्षेत्रों में परियोजनाओं को उनके आर्थिक कार्यशील जीवन अथवा परियोजना की रियायती अवधि के आधार पर ऋण चुकाने के लिए लम्बी अवधि अर्थात 25 वर्ष और तत्पश्चात् प्रत्येक 5 वर्षों में आवधिक पुनवित्तपोषण की अनुमति प्रदान की गई है।

(घ): सरकार ने देश के इस्पात उद्योग के हितों की रक्षा करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाएं है:-

(i) यह सुनिश्चित करने के लिए कि केवल गुणवत्ता युक्त इस्पात का उत्पादन या आयात हो, सरकार ने इस्पात और इस्पात उत्पाद (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2012, दिनांक 12.03.2012 तथा इस्पात और इस्पात उत्पाद (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2015, दिनांक 15.12.2015 अधिसूचित किए गए हैं।

(ii) घरेलू इस्पात उद्योग के लिए कोयला और लौह अयस्क की उपलब्धता बढ़ाने के लिए-

(क) कोयला ब्लाक के आवंटन को सरल बनाने के लिए दिनांक 30.03.2015 को 'कोल माईन्स (स्पेशल प्रोविजंस) एमेंडमेंट एक्ट, 2015 अधिसूचित किया गया है।

(ख) खनन पट्टे के आवंटन को सरल एवं कारगर बनाने के लिए दिनांक 27.03.2015 को 'खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2015 अधिसूचित किया गया है।

(iii) केन्द्रीय बजट 2015-16 में फ्लैट और नॉन-फ्लैट दोनों इस्पात पर बेसिक सीमा शुल्क की उच्चतम दर 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 15 प्रतिशत की गई है।

(iv) इनगॉट्स और बिलेट्स, अलॉय स्टील (फ्लैट एवं लांग), स्टेनलैस स्टील (लांग) और नान-अलॉय लांग उत्पाद पर आयात शुल्क 5 प्रतिशत से बढ़ाकर 7.5 प्रतिशत किया गया तथा नान अलॉय और अन्य अलॉय फ्लैट उत्पादों पर यह शुल्क 7.5 प्रतिशत से बढ़ाकर 10 प्रतिशत किया गया है। अगस्त, 2015 में पुन: संशोधित करके आयात शुल्क फ्लैट स्टील पर 10 प्रतिशत से 12.5 प्रतिशत, लांग स्टील पर 7.5 प्रतिशत से 10 प्रतिशत और सेमी फिनिश्ड स्टील पर 7.5 से 10 प्रतिशत किया गया है।

(v) नवम्बर, 2014 में रिबार्स का आयात केवल 'इस्पात उत्पाद गुणवत्ता नियंत्रण आदेश, 2012' के अनुसार सुनिश्चित किए गए थे, ताकि बोरोन युक्त रिबार्स के सस्ते आयातों को रोका जा सके।

(vi) सरकार ने जून, 2015 में स्टेनलैस स्टील के कतिपय किस्मों के हॉट रोल्ड फ्लैट उत्पादों के चीन ($ 309 प्रति टन), कोरिया ($ 180 प्रति टन) और मलेशिया ($ 316 प्रति टन) से आयातों पर 5 वर्षों के लिए एंटी डम्पिंग ड्यूटी लगाई गई है।

(vii) सरकार ने 600 एमएम या इससे अधिक की चौड़ाई वाले क्वायलों में नान अलॉय और अन्य अलॉय स्टील के हॉट रोल्ड फ्लैट उत्पादों पर मार्च, 2016 में 20 प्रतिशत का सुरक्षोपाय शुल्क लगाया है।

(viii) दिनांक 05.02.2016 की अधिसूचना के जरिये 173 इस्पात उत्पादों पर न्यूनतम आयात मूल्य (एमआईपी) की शर्त लगाई गई है। इस अधिसूचना के तहत शामिल की गई मदों का इस देश में आयात अधिसूचित मूल्य से कम पर करने की अनुमति नही होगी।

***